"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2014—पौष 13, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2013

क्रमांक 1114/817/अव./2013/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, उप सचिव, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 25-11-2013 से 07-12-2013 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24-11-2013 एवं 08-12-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती टोप्पो, आगामी आदेश तक उप सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्रमांक/4199/एफ-8-65/NAIS/2012/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 13011/15/99/Credit-II दिनांक 16 जुलाई, 1999 तथा प्रशासनिक अनुमोदन क्रमांक 13011/04/2004/Credit-II दिनांक 07 फरवरी, 2013 का संदर्भ देते हुए छ.ग. शासन सूचित करता है कि रबी 2013-14 मौसम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सम्पूर्ण प्रदेश में चयनित फसलों पर कार्यान्वित की जावेगी.

2. **निम्न फसलों को अधिसूचित किया गया है :—**
1. गेहूं सिंचित 2. गेहूं असिंचित 3. चना 4. अलसी 5. राई-सरसों 6. आलू

3. **अधिसूचित क्षेत्र :**—सभी फसलों के लिये अधिसूचित क्षेत्र राजस्व निरीक्षक मण्डल होगा. सभी फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों के जिलों के नाम व तहसील में राजस्व निरीक्षक मण्डल परिशिष्ट-एक में दर्शित है.

4. इस योजना में ऋणी किसान, अऋणी किसान, बटाईदार और काश्तकार कृषक भी भाग ले सकते हैं.

5. ऋणी किसान अनिवार्य रूप से और अऋणी किसान ऐच्छिक रूप से इस योजना में भाग ले सकते हैं.

6. 01 अक्टूबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक अधिसूचित फसलों के लिए ली गई ऋण राशि रबी 2013-14 मौसम के लिए कवर किया जावेगा.

7. अऋणी किसान और लिये गये ऋण राशि से उच्च बीमा चाहने वाले ऋणी किसान के लिये बीमा करने की अंतिम तिथि 31-12-2013 होगी.

8. जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं व्यवसायिक बैंक से अधिसूचित फसलों की ऋण राशि का बीमा इस मौसम में किया जायेगा.

9. संबंधित बैंकों का नोडल शाखा नीचे दिये गये समय सारणी के अनुसार घोषणा-पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे.

समय सारणी

माह के वितरित ऋण	घोषणा पत्र स्वीकार किये जाने की सीमा
अक्टूबर, 2013	30 नवम्बर, 2013
नवम्बर, 2013	31 दिसम्बर, 2013
दिसम्बर, 2013	31 जनवरी, 2014
जनवरी, 2014	28 फरवरी, 2014
फरवरी, 2014	31 मार्च, 2014
मार्च, 2014	31 मई, 2014 (मौसम की अंतिम तिथि)

10. शासन द्वारा उपज के आंकड़े भेजने की अंतिम तिथि 31-07-2014 होगी.

11. ऋणी किसान के लिए बीमित राशि लिये गये ऋण राशि तक व इसके अतिरिक्त निर्धारित उपज के मूल्य तक और इससे अधिक 150 प्रतिशत औसत उपज के मूल्य तक होंगे. लिये गये ऋण राशि और निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा और उससे अधिक राशि के लिए वास्तविक दर लागू होगा. अऋणी किसान के लिए बीमित राशि निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा एवं उससे ज्यादा 150 प्रतिशत औसत उपज के मूल्य तक वास्तविक दर लागू होगा.

12. **प्रीमियम में अनुदान :—** ऋणी एवं अऋणी लघु एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम में 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है और लघु एवं सीमांत किसानों के लिये समस्त बैंक के नोडल कार्यालय को प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि प्रेषित करनी होगी.

देय प्रीमियम के लिए मांग विकर्ष सहित घोषणा-पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि., रायपुर को भेजना होगा.

13. **बैंक सर्विस चार्जेस :—** सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी किसानों का बीमा करने के लिये नेट प्रीमियम राशि का 2.5 प्रतिशत बैंक सर्विस चार्जेस मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान किया जायेगा.

14. **दावा गणना :—** दावा की गणना आयुक्त भू-अभिलेख, रायपुर द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिये फसल कटाई प्रयोग पर आधारित उपज दर के आंकड़ों से किया जायेगा. प्रत्येक अधिसूचित फसलों के लिए प्रत्येक अधिसूचित आर.आई. सर्कल में कम से कम 10 फसल कटाई प्रयोग आयोजित किया जाना होगा. शासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा अनावारी, सूखा, बाढ़, अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं है.

15. रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिलों (13 जिलों) में रबी वर्ष 2013-14 के लिए पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) लागू की गई है उन जिलों में गेहूं व चना को छोड़कर अन्य फसलें एवं शेष जिलों के लिए राजस्व निरीक्षक मंडलवार गेहूं सिंचित, गेहूं, असिंचित, चना, अलसी, राई-सरसों एवं आलू फसलों को अधिसूचित किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

परिशिष्ट-1

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाअंतर्गत रबी 2013-14 हेतु फसलवार अधिसूचित की जाने वाली राजस्व निरीक्षक मंडलों की सूची

क्र. (1)	फसल का नाम (2)	जिला (3)	तहसीलें (4)	राजस्व निरीक्षक मंडल (5)
1.	गेहूं सिंचित (116)	रायपुर	रायपुर	1. धरसींवा-1
			आरंग	2. आरंग
				3. मंदिर हसौद
			तिल्दा	4. तिल्दा
				5. खरोरा
		बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	6. बलौदाबाजार
			सिमगा	7. सिमगा
				8. जरौद
			भाटापारा	9. भाटापारा
				10. निपनिया
			पलारी	11. पलारी
				12. सण्डी
		महासमुंद	महासमुंद	13. महासमुंद
		धमतरी	धमतरी	14. भोथली
			कुरूद	15. कुरूद
		दुर्ग	दुर्ग	16. दुर्ग-1
				17. अण्डा
			पाटन	18. पाटन
				19. भिलाई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			धमधा	20. धमधा
				21. अहिवारा
		बालोद	बालोद	22. बालोद
			डौंडीलोहारा	23. खेरथा
			गुरूर	24. गुरूर
			गुण्डरदेही	25. गुण्डरदेही
				26. अर्जुंदा
		बेमेतरा	बेमेतरा	27. बेमेतरा
				28. खण्डसरा
			नवागढ़	29. नवागढ़
				30. मारो
			थानखम्हरिया	31. थानखम्हरिया
			बेरला	32. बेरला
				33. आनंदगांव
			साजा	34. साजा
				35. देवकर
		राजनांदगांव	राजनांदगांव	36. घुमका
				37. राजनांदगांव-1
			छुरिया	38. छुरिया
				39. खुज्जी
			डोंगरगांव	40. डोंगरगांव
				41. तुमड़ीबोड़
			खैरागढ़	42. खैरागढ़
				43. पाड़ादाह
			छुईखदान	44. छुईखदान
				45. गंडई
			डोंगरगढ़	46. डोंगरगढ़
				47. लालबहादुर नगर
		कबीरधाम	बोड़ला	48. बोड़ला
			कवर्धा	49. कवर्धा-1
				50. रवेली
				51. पिपरिया
				52. दशरंगपुर
			पंडरिया	53. पंडरिया
				54. मोहगांव
				55. कुण्डा
			सहसपुर लोहारा	56. सहसपुर लोहारा
				57. सिलहारी
				58. चारभाटा
				59. बिरेन्द्र नगर
		बिलासपुर	मस्तुरी	60. मस्तुरी
				61. सीपत
			तखतपुर	62. तखतपुर
				63. सकरी
			बिल्हा	64. बिल्हा
			पेण्ड्रारोड	65. गौरेला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			पेण्ड्रा	66. पेण्ड्रा
			बिलासपुर	67. बिलासपुर
				68. बेलतरा
			कोटा	69. कोटा
				70. रतनपुर
		मुंगेली	मुंगेली	71. मुंगेली
			पथरिया	72. पथरिया
			लोरमी	73. लोरमी
		जांजगीर-चांपा	सक्ती	74. सक्ती
			मालखरौदा	75. मालखरौदा
			अकलतरा	76. अकलतरा
			बलौदा	77. बलौदा
		सरगुजा	अंबिकापुर	78. अंबिकापुर-1
				79. अंबिकापुर-2
				80. दरिमा
			लखनपुर	81. लखनपुर
			उदयपुर	82. उदयपुर
			सीतापुर	83. सीतापुर
			मैनपाट	84. मैनपाट
			लुण्ड्रा	85. लुण्ड्रा
				86. धौरपुर
			बतौली	87. बतौली
		सूरजपुर	सूरजपुर	88. सूरजपुर
				89. पिलखा
			भैयाथान	90. भैयाथान
				91. भटगांव
			ओड़गी	92. ओड़गी
			रामानुजनगर	93. रामानुजनगर
			प्रतापपुर	94. प्रतापपुर
				95. डाडकरवां
		बलरामपुर	रामचन्द्रपुर	96. रामचन्द्रपुर
			बलरामपुर	97. बलरामपुर
			वाड्रफनगर	98. वाड्रफनगर
				99. रघुनाथनगर
			कुसमी	100. कुसमी
				101. सामरी
			शंकरगढ़	102. शंकरगढ़
			राजपुर	103. राजपुर
		कोरिया	सोनहत	104. सोनहत
			बैकुंठपुर	105. बैकुंठपुर
				106. पटना
			मनेन्द्रगढ़	107. मनेन्द्रगढ़
			भरतपुर	108. भरतपुर
				109. काटाडोल
			खड़गवां	110. खड़गवां

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		रायगढ़	खरसिया	111. खरसिया
			रायगढ़	112. किरोड़ीमल नगर
			पुसौर	113. पुसौर
			लैलूंगा	114. लैलूंगा
		जशपुर	बगीचा	115. सन्ना
			कुनकुरी	116. कुनकुरी
2.	गेहूं असिंचित (47)	बलौदाबाजार	पलारी	1. पलारी
		धमतरी	नगरी	2. नगरी-सिहावा
			कुरूद	3. कुरूद
		दुर्ग	दुर्ग	4. अण्डा
			पाटन	5. पाटन
			धमधा	6. धमधा
		बालोद	बालोद	7. बालोद
			डौंडीलोहारा	8. डौंडीलोहारा
				9. खेरथा
			गुरूर	10. गुरूर
			गुण्डरदेही	11. गुण्डरदेही
				12. अर्जुंदा
		बेमेतरा	बेमेतरा	13. बेमेतरा
				14. खण्डसरा
			नवागढ़	15. नवागढ़
				16. मारो
			थानखम्हरिया	17. थानखम्हरिया
			बेरला	18. बेरला
				19. अनंदगांव
			साजा	20. साजा
				21. देवकर
		राजनांदगांव	राजनांदगांव	22. घुमका
				23. राजनांदगांव-1
			छुरिया	24. छुरिया
			खैरागढ़	25. खैरागढ़
				26. पाड़ादाह
			छुईखदान	27. छुईखदान
				28. गंडई
			डोंगरगढ़	29. डोंगरगढ़
				30. लालबहादुर नगर
		कबीरधाम	पंडरिया	31. पंडरिया
			सहसपुर लोहारा	32. सहसपुर लोहारा
				33. चारभाटा
		बिलासपुर	बिल्हा	34. बिल्हा
			तखतपुर	35. तखतपुर
			पेण्ड्रारोड	36. गौरेला
			पेण्ड्रा	37. पेण्ड्रा
		मुंगेली	मुंगेली	38. मुंगेली
				39. जरहागांव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			पथरिया	40. पथरिया
			लोरमी	41. लोरमी
		सरगुजा	अंबिकापुर	42. अंबिकापुर-2
		सूरजपुर	ओड़गी	43. ओड़गी
		रायगढ़	खरसिया	44. खरसिया
			रायगढ़	45. किरोड़ीमल नगर
			पुसौर	46. पुसौर
			लैलूंगा	47. लैलूंगा
3.	चना (84)	रायपुर	रायपुर	1. धरसींवा-1
			आरंग	2. आरंग
				3. मंदिर हसौद
			अभनपुर	4. अभनपुर
				5. नवापारा
			तिल्दा	6. तिल्दा
				7. खरोरा
		बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	8. बलौदाबाजार
			सिमगा	9. सिमगा
				10. जरौद
			भाटापारा	11. भाटापारा
				12. निपनिया
			पलारी	13. पलारी
				14. सण्डी
		धमतरी	धमतरी	15. भोथली
			कुरूद	16. कुरूद
		दुर्ग	दुर्ग	17. दुर्ग-1
				18. दुर्ग-2
				19. अण्डा
			पाटन	20. पाटन
				21. भिलाई
			धमधा	22. धमधा
				23. अहिवारा
		बालोद	बालोद	24. बालोद
			डौंडीलोहारा	25. डौंडीलोहारा
				26. खेरथा
			गुरूर	27. गुरूर
			गुण्डरदेही	28. गुण्डरदेही
				29. अर्जुंदा
		बेमेतरा	बेमेतरा	30. बेमेतरा
				31. खण्डसरा
			नवागढ़	32. नवागढ़
				33. मारो
			थानखम्हरिया	34. थानखम्हरिया
			बेरला	35. बेरला
				36. अनंदगांव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			साजा	37. साजा
				38. देवकर
		राजनांदगांव	राजनांदगांव	39. घुमका
				40. राजनांदगांव-1
			छुरिया	41. छुरिया
				42. खुज्जी
			डोंगरगांव	43. डोंगरगांव
				44. तुमड़ीबोड़
			खैरागढ़	45. खैरागढ़
				46. पाड़ादाह
			छुईखदान	47. छुईखदान
				48. गंडई
			डोंगरगढ़	49. डोंगरगढ़
				50. लालबहादुर नगर
			मोहला	51. मोहला
		कबीरधाम	बोड़ला	52. बोड़ला
				53. तरेगांव जंगल
				54. राजानवागांव
				55. चिल्फी
				56. रेंगाखारकला
			कवर्धा	57. कवर्धा-1
				58. कवर्धा-2
				59. रवेली
				60. पिपरिया
				61. दशरंगपुर
				62. मुरका
			पंडरिया	63. पंडरिया
				64. कुकदुर
				65. दुल्लापुर
				66. मोहगांव
				67. कुण्डा
		कांकेर	कांकेर	68. कांकेर
		बिलासपुर	तखतपुर	69. तखतपुर
				70. सकरी
			बिल्हा	71. बिल्हा
			मरवाही	72. मरवाही
			कोटा	73. कोटा
		मुंगेली	मुंगेली	74. मुंगेली
				75. जरहागांव
			पथरिया	76. पथरिया
			लोरमी	77. लोरमी
		सरगुजा	अंबिकापुर	78. अंबिकापुर-2
				79. दरिमा
			लखनपुर	80. लखनपुर
		सूरजपुर	रामानुजनगर	81. रामानुजनगर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		बलरामपुर	रामचन्द्रपुर	82. रामचन्द्रपुर
			राजपुर	83. राजपुर
		रायगढ़	लैलूंगा	84. लैलूंगा
		जशपुर	पत्थलगांव	85. पत्थलगांव
4.	अलसी (54)	गरियाबंद	मैनपुर	1. मैनपुर
			देवभोग	2. देवभोग
		धमतरी	नगरी	3. नगरी-सिहावा
			कुरूद	4. कुरूद
			मगरलोड	5. मगरलोड
		दुर्ग	पाटन	6. पाटन
				7. भिलाई
		बालोद	बालोद	8. बालोद
			डौण्डी	9. दल्लीराजहरा
			डौण्डीलोहारा	10. डौण्डीलोहारा
				11. खेरथा
			गुरूर	12. गुरूर
		बेमेतरा	बेमेतरा	13. खण्डसरा
			नवागढ़	14. नवागढ़
				15. मारो
		राजनांदगांव	राजनांदगांव	16. घुमका
			छुरिया	17. छुरिया
				18. खुज्जी
			खैरागढ़	19. पाड़ादाह
			डोंगरगांव	20. तुमड़ीबोड़
			डोंगरगढ़	21. लालबहादुर नगर
			मोहला	22. मोहला
			अंबागढ़ चौकी	23. अंबागढ़ चौकी
		कांकेर	कांकेर	24. कांकेर
		बिलासपुर	तखतपुर	25. तखतपुर
			पेण्ड्रारोड	26. गौरेला
			मरवाही	27. मरवाही
			कोटा	28. कोटा
		जांजगीर-चांपा	सक्ती	29. सक्ती
			बलौदा	30. बलौदा
		कोरबा	करतला	31. बरपाली
			पाली	32. हरदी बाजार
		सरगुजा	अंबिकापुर	33. दरिमा
			लखनपुर	34. लखनपुर
			उदयपुर	35. उदयपुर
			लुण्ड्रा	36. लुण्ड्रा
				37. धौरपुर
			बतौली	38. बतौली
		सूरजपुर	भैयाथान	39. भैयाथान
			रामानुजनगर	40. रामानुजनगर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			प्रतापपुर	41. प्रतापपुर
				42. डाडकरवां
		बलरामपुर	रामचन्द्रपुर	43. रामचन्द्रपुर
			बलरामपुर	44. बलरामपुर
			वाड्रफनगर	45. वाड्रफनगर
				46. रघुनाथ नगर
			शंकरगढ़	47. शंकरगढ़
			राजपुर	48. राजपुर
		कोरिया	बैकुण्ठपुर	49. पटना
			खड़गवां	50. खड़गवां
		रायगढ़	लैलूंगा	51. लैलूंगा
		जशपुर	पत्थलगांव	52. पत्थलगांव
				53. बागबहार
			बगीचा	54. सन्ना
5.	राई-सरसों (73)	गरियाबंद	मैनपुर	1. मैनपुर
		धमतरी	धमतरी	2. भोथली
			नगरी	3. नगरी-सिहावा
			कुरूद	4. कुरूद
			मगरलोड	5. मगरलोड
		दुर्ग	दुर्ग	6. अण्डा
			पाटन	7. पाटन
				8. भिलाई
		बालोद	बालोद	9. बालोद
			गुरूर	10. गुरूर
		कवर्धा	बोड़ला	11. तरेगांव जंगल
				12. चिल्फी
				13. रेंगाखारकला
			पंडरिया	14. नेउर
				15. कुकदुर
		जगदलपुर	जगदलपुर	16. जगदलपुर-अ
				17. नानगुर
			लोहाण्डीगुड़ा	18. चित्रकुट
			बस्तानार	19. बस्तानार
			दरभा	20. दरभा
		कांकेर	दुर्गकोंदल	21. दुर्गकोंदल
			अंतागढ़	22. अंतागढ़
				23. आमाबेड़ा
		दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	24. पोड़म
			कुंआकोण्डा	25. कुंआकोण्डा
			कटेकल्याण	26. कटेकल्याण
		बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	27. गौरेला
			पेण्ड्रा	28. पेण्ड्रा
			मरवाही	29. मरवाही
			कोटा	30. कोटा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		जांजगीर-चांपा	चांपा	31. चांपा
			नवागढ़	32. शिवरीनारायण
		कोरबा	पाली	33. पाली
			पोड़ीउपरोड़ा	34. पोड़ीउपरोड़ा
				35. पसान
		अंबिकापुर	अंबिकापुर	36. अंबिकापुर-2
				37. दरिमा
			लखनपुर	38. लखनपुर
			उदयपुर	39. उदयपुर
			सीतापुर	40. सीतापुर
			मैनपाट	41. मैनपाट
			लुण्ड्रा	42. लुण्ड्रा
				43. धौरपुर
			बतौली	44. बतौली
		सूरजपुर	सूरजपुर	45. पिल्खा
			भैयाथान	46. भटगांव
			ओड़गी	47. ओड़गी
			रामानुजनगर	48. रामानुजनगर
			प्रेमनगर	49. प्रेमनगर
			प्रतापपुर	50. प्रतापपुर
				51. ड़ाडकरवां
		बलरामपुर	रामचन्द्रपुर	52. रामचन्द्रपुर
			बलरामपुर	53. बलरामपुर
			वाड्रफनगर	54. वाड्रफनगर
				55. रघुनाथ नगर
			कुसमी	56. कुसमी
				57. सामरी
			शंकरगढ़	58. शंकरगढ़
			राजपुर	59. राजपुर
		कोरिया	सोनहत	60. सोनहत
			बैकुण्ठपुर	61. बैकुण्ठपुर
				62. पटना
			मनेन्द्रगढ़	63. मनेन्द्रगढ़
			भरतपुर	64. भरतपुर
				65. कांटाडोल
			खड़गवां	66. खड़गवां
		रायगढ़	धरमजयगढ़	67. कापू
			पुसौर	68. पुसौर
			लैलूंगा	69. लैलूंगा
		जशपुर	पत्थलगांव	70. पत्थलगांव
			बगीचा	71. बगीचा
				72. सन्ना
			मनोरा	73. मनोरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	आलू (15)	सरगुजा	अंबिकापुर	1. दरिमा
			लखनपुर	2. लखनपुर
			उदयपुर	3. उदयपुर
		सूरजपुर	सूरजपुर	4. सूरजपुर
				5. पिल्खा
			भैयाथान	6. भैयाथान
				7. भटगांव
			ओड़गी	8. ओड़गी
			रामानुजनगर	9. रामानुजनगर
			प्रतापपुर	10. प्रतापपुर
				11. डाडकरवां
		बलरामपुर	रामचन्द्रपुर	12. रामचन्द्रपुर
			बलरामपुर	13. बलरामपुर
			शंकरगढ़	14. शंकरगढ़
			राजपुर	15. राजपुर

टीप :— प्रदेश के 13 जिले क्रमशः रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर के समस्त तहसीलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है. उक्त जिलों में यदि मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू किया जाता है तो उन जिलों को छोड़कर शेष जिलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है.

गोशवारा

क्र. (1)	फसल (2)	जिला (सं.) (3)	तहसील (सं.) (4)	राजस्व निरीक्षक मंडल (सं.) (5)
1.	गेहूं सिंचित	18	75	116
2.	गेहूं असिंचित	12	35	47
3.	चना	16	47	85
4.	अलसी	16	46	54
5.	राई-सरसों	17	58	73
6.	आलू	3	12	15

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्रमांक/एफ-19-6/2012/25-2.—छ.ग. शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-19-6/2012/25-2 दिनांक 24-3-2012 द्वारा श्री विजय गुरू को छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर के अध्यक्ष पद पर आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त किया गया था.

शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार उक्त पद पर श्री विजय गुरू की, की गई नियुक्ति एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाकर उक्त पद को रिक्त घोषित किया जाता है. तात्कालिक रूप से अध्यक्ष का प्रभार विभाग के सचिव को सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्रमांक 3417/पं.ग्रा.वि.वि./22/2013.—राज्य शासन एतद्द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-4 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 78 दिनांक 8 मार्च, 2006 में प्रकाशित की गई पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1069/वि-3/रा.ग्रा.रो.गा.यो./2006 दिनांक 3 मार्च, 2006 एवं अधिसूचना क्रमांक 448/पंग्राविवि/22/2013 दिनांक 12-02-2013 में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित करता है.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पूर्व में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 78 दिनांक 8 मार्च, 2006 अधिसूचना क्रमांक 1069/वि-3/रा.ग्रा.रो.गा.यो./2006 दिनांक 3 मार्च, 2006 एवं अधिसूचना क्रमांक 448/पंग्राविवि/22/2013 दिनांक 12-02-2013 में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. **योजना की कंडिका 3.5**— मजदूरी का भुगतान की उपकंडिका 3.5.1 से 3.5.7 तक के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

3.5 **मजदूरी भुगतान—**

3.5.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्यरत् अकुशल मजदूरों को भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए अधिसूचित संदेय मजदूरी दर पर भुगतान किया जाएगा.

3.5.2 महिला एवं पुरुषों को समान दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा.

3.5.3 मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा अधिकतम पाक्षिक आधार पर किया जावेगा.

3.5.4 मजदूरी का भुगतान, केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कर्मियां के बैकों या डाकघरों में खोले गए एकल या संयुक्त बचत खाते के माध्यम से किया जाएगा.

3.5.5 क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा मजदूरी भुगतान का विवरण परिवार रोजगार कार्ड में इन्द्राज किया जाएगा.

3.5.6 विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि विश्राम के एक घंटे सहित आठ घंटे के लिए काम करने वाला कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतया मजदूरी दर के बराबर मजदूरी उपार्जित कर सकें.

3.5.7 किसी व्यस्क कार्यक्रम के कार्यदिवस, जिसके अंतर्गत विश्राम के अंतराल भी हैं, यदि कोई हों, इस प्रकार व्यस्थित किए जाएंगे कि वह किसी दिवस को बारह घंटे से अधिक न हो.

3.5.8 योजनांतर्गत मस्टररोल के बंद होने के तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु भुगतान की प्रत्येक प्रक्रिया हेतु उत्तरदायित्व एवं अधिकतम समय-सीमा निम्नानुसार होगी :—

क्र.	उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी का पदनाम	गतिविधियां	निर्धारित कार्य पूर्ण करने हेतु समय-सीमा
1.	तकनीकी सहायक/ उपयंत्री	सप्ताहांत में ग्राम रोजगार सहायक/सचिव से मस्टररोल प्राप्त कर कार्य का निरीक्षण/मूल्यांकन	3 दिन
2.	अनुविभागीय अधिकारी/ सक्षम अधिकारी	कार्य का सत्यापन	4 दिन
3.	सहायक प्रोग्रामर/ कम्प्यूटर ऑपरेटर	मस्टररोल का एम.आई.एस. पर प्रविष्टि एवं मजदूरी भुगतान सूची तैयार करना.	4 दिन
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत	श्रमिकों के खातों में राशि जमा करने हेतु चेक/ महात्मा गांधी नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से मजदूरी सूची का एफ.टी.ओ. तैयार कर प्रेषित करना.	2 दिन
5.	ई-एफ.एम.एस. का नोडल बैंक	नोडल बैंक को प्राप्त एफ.टी.ओ. को सभी संबंधित बैंकों के मजदूरों के खाते में Credit करते हुए Response file सृजित करना.	2 दिन

3.5.9 **मुआवजा :—**

3.5.9.1 मजदूरी भुगतान में किसी प्रकार का विलंब होता है तो, मजदूरी भुगतान के प्रावधानों के अनुसार कामगार क्षतिपूर्ति के पात्र हैं और क्षतिपूर्ति की लागत राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी. उक्त क्षतिपूर्ति राशि को संबंधित एजेंसियों/अधिकारियों से वसूली कर राज्य शासन के खाते में समायोजन करना होगा.

3.5.9.2 यदि मजदूरी की राशि श्रमिकों के खाते में मस्टररोल बंद होने की तारीख से 15 दिन के बाद जमा किया जाता है तो गणना की गई क्षतिपूर्ति का भुगतान भी मजदूरी के साथ-साथ करना होगा जिसके लिए मजदूर को क्षतिपूर्ति हेतु अलग से दावा नहीं करना होगा. इससे संबंधित अधिनियमों के तहत व्यक्ति (मजदूर) के अधिकारों और हक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

3.5.9.3 विलंब से किये गये मजदूरी भुगतान पर क्षतिपूर्ति की जानकारी एम.आई.एस. में अलग से प्रदर्शित होगी, जिससे किसी मजदूर को प्रदाय की जा रही कुल राशि के निर्धारण में इसे मजदूरी में जोड़ा जा सके.

3.5.9.4 एम.आई.एस. में मजदूरी भुगतान विलंब होने की स्थिति एवं जिम्मेदार एजेंसी/अधिकारी को दर्शाया जायेगा.

3.5.9.5 कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा प्रत्येक माह की 05 एवं 20 तारीख को विलंब मजदूरी भुगतान की जानकारी तैयार की जायेगी, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों की सूची एवं अपेक्षित क्षतिपूर्ति राशि संबंधित व्यक्तियों से वसूल किये जाने की अनुशंसा सहित अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला पंचायत) को प्रस्तुत करेगा.

3.5.9.6 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला पंचायत) कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत से प्राप्त अनुशंसा एवं जिला स्तर पर विलंब मजदूरी भुगतान की जानकारी को समाहित करते हुए संकलित जानकारी अपनी अनुशंसा सहित दो दिवस के भीतर जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करेगा.

3.5.9.7 प्राप्त अनुशंसा पर समुचित सुनवाई के पश्चात् जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा श्रमिकों के भुगतान में विलंब के लिए जिम्मेदार एजेंसियों/अधिकारियों के विरुद्ध राशि की वसूली के संबंध में 15 दिवस के भीतर आदेश पारित किया जायेगा.

3.5.9.8 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा 15 दिवस के भीतर आदेश पारित नहीं किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला पंचायत) द्वारा की गई अनुशंसा मान्य मानी जावेगी एवं उनके द्वारा आदेश पारित कर संबंधितों को सूचित की जावेगी.

3.5.9.9 प्राकृतिक आपदा अथवा ऐसी परिस्थितियां जो उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के नियंत्रण में नहीं होने के फलस्वरूप मजदूरी भुगतान में विलंब होने पर क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा.

3.5.9.10 जिला कार्यक्रम समन्वयक से मंजूरी मिल जाने पर एजेंसियों/अधिकारियों के वेतन एवं एजेंसियों को भुगतान की जाने वाली राशि से वसूली करने की प्रक्रिया स्वत: शुरू हो जाएगी.

3.5.9.11 मजदूरी भुगतान में विलंब की स्थिति में मजदूर को उन्हें प्रदाय की जाने वाली भुगतान पर भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा निर्धारित दर से मुआवजे का भुगतान करना होगा.

3.5.9.12. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी इन प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे.

3.5.10. **अपीलीय प्रावधान :—**

3.5.10.1 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा विलंब से मजदूरी भुगतान के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि की वसूली हेतु पारित आदेश के विरुद्ध अपील, संभाग आयुक्त (राजस्व) को की जा सकेगी.

3.5.10.2 अपीलीय अधिकारी 30 दिनों के भीतर अपील का निराकरण करेंगे एवं लिखित में अपीलार्थी को सूचित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबाशीष दास, सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्रमांक 3418/पं.ग्रा.वि.वि./22/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3417/पं.ग्रा.वि.वि./22/2013 दिनांक 24-12-2013 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबाशीष दास, सचिव.

Raipur, the 24th December 2013

No. 3417/पं.ग्रा.वि.वि./22/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, hereby, makes the following amendments to the Gazette notification No. 1069/V-3/NREGS/2006 dated 3rd March, 2006, notification No. 448/P&-RD/22/2013, dated 12-02-2013 and notification No. 78 dated 8th March, 2006, published before by Panchayat and Rural Development Department, namely :—

AMENDMENT

1. **Clause 3.5 of the scheme.**— Following words shall be substituted in place of sub-clause 3.5.1 to 3.5.7 of the said clause of the Act, namely :—

3.5 **Labour Payment.—**

3.5.1 The unskilled labours engaged under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in the State, shall be paid as per the labour rate notified in the Official Gazette, from time to time, by the Government of India.

3.5.2 Labour Payment to men and women shall be made at equal rate.

3.5.3 Labour Payment shall be made weekly or at least fortnightly.

3.5.4 Labour payment shall be made through the single or joint saving accounts opened in the banks or post office as per the directions of the Government of India.

3.5.5 The details of labour payment shall be entered in the Emplyment card by the Implementing agency.

3.5.6 The Schedule of labour rate for different unskilled labour shall be decided in such manner that any adult person working for eight hours including one resting hour should be able to earn at the equal general labour rate.

3.5.7 If there is any adult labour, in whose work days resting period is included, then the same shall be arranged in such manner that his working hours would not be more than twelve hours in any day.

3.5.8 To ensure labour payment within fifteen days from the date of closure of the muster roll under the scheme, the maximum time limit for payment proceess and liabilities shall be as follows :—

No. (1)	Designation of Officer/Employee responsible (2)	Activities (3)	Time-limit for Completion of set work (4)
1.	Technical assistant/ Sub-engineer.	To procure muster roll from village employment assistant/Secretary and to supervision/valuation.	3 days
2.	Sub-divisional officer/ competent authority.	Verification of work.	4 days
3.	Assistant Programmer/ Computer Operator.	To enroll muster roll on MIS. and prepare wage list for labour payment.	4 days
4.	Chief Executive Officer and Program Officer, Janpad Panchayat.	To deposit amount as per labour payment list, prepare Cheque/FTO of the list through the MGNREGA software.	2 days

(1)	(2)	(3)	(4)
.5.	Nodal Bank of e-FMS	Nodal Bank on receipt of the FTO shall credit the amount into the labours account in the respective banks and create response file.	2 days

3 5.9 **Compensation :—**

3.5.9.1 For any delay in labour payment to the labour, the labour shall be eligible to receive compensation under the provision and the cost of compensation will be borne by the State Government. Such compensation amount shall be recovered from the concerned agencies/Officers and shall be adjusted in the State Government account.

3.5.9.2 If the labour payment is made after fifteen days from the date of closure of the muster roll then the compensation as calculated shall be paid along with labour payment. for such delay in payment the labour need not make any separate claim, this will not affect the right of the person's (labour) under any other related laws.

3.5.9.3 The details of compensation information paid due to delay in labour payment shall be displayed on the MIS separately, so that this can be added to the total decided amount to be paid to any labourer.

3.5.9.4 The status of delay in labour payment and responsible agency/officer must be shown in the MIS information.

3.5.9.5 On 05th and 20th of every month, information regarding delayed labour payment shall be prepared by the Janpad Panchayat Programme officer, such shall list of the responsible officers and anticipated compensation amount to be recovered from responsible persons along with recommendation also must be submitted to Additional District Programme Coordinator (Chief Executive Officer/Project Director, Jila Panchayat).

3.5.9.6 The Additional District Programme Coordinator (Chief Executive Officer/Project Director, Jila Panchayat) after compiling district level information of delay in labour payment, along with the information and recommendations received from programme officer, Janpad Panchayat, shall submit the compiled information along with his recommendations to the District Programme Coordinator within two days.

3.5.9.7 The District Programme Coordinator shall pass recovery orders within 15 days, after through hearing upon the recommendations of the agencies/officers responsible for the delay in labour payment to the labours.

3.5.9.8 In case the orders are not passed by the District Programme Coordinator within 15 days, then the recommendations of Additional District Programme Coordinator (Chief Executive Officer/Project Director, Jila Panchayat) will be taken to be accepted and accordingly orders shall be passed and intimated to the concerned persons.

3.5.9.9 Compensation for delay in labour payment due to natural disasters or any likewise conditions which are beyond the control of the responsible officer/employee, shall not be payable.

3.5.9.10 Recovery process will start automatically by the orders are issued from District Programme Coordinator from the responsible officer/agencies salaries and the amount to be paid.

3.5.9.11 In case of delay in labour payment, labours shall be paid compensation as per the rate prescribed by the Ministry of Rural Development, Government of India.

3.5.9.12 District Programme Coordinator and Programme officer will be responsible for implementation of these provisions.

3.5.10 **Provision of Appeal—**

3.5.10.1 An appeal shall be made before Divisional Commissioner (Revenue) against the orders passed by the District Programme Coordinator regarding recovery of compensation amount due to delay in labour payment.

3.5.10.2 The Appellant Authority shall dispose the appeal within 30 days and inform the appellants in written.

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
DEBASISH DAS, Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 7-10/2013/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 22-3-2013 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (वर्ग मीटर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लाभाण्डीह प.ह.नं. 113	224/4 का भाग 227/7 का भाग	2557.45 वर्गमीटर 2809.82 वर्गमीटर	मार्ग एम.आर-15 (ए)	आवासीय
		224/1	936.27 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		272 से 275 का भाग 223, 273, 274, 275 का भाग	1975 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		222	1170.91 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		221 का भाग	302.70 वर्गमीटर	मार्ग	शैक्षणिक
		220	610.58 वर्गमीटर	मार्ग	शैक्षणिक
		219	2921.75 वर्गमीटर	मार्ग	शैक्षणिक
		207	86.97 वर्गमीटर	मार्ग	शैक्षणिक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		206	1149.64 वर्गमीटर	मार्ग	शैक्षणिक
		203/2	1915.82 वर्गमीटर	मार्ग	शैक्षणिक
		112 का भाग	409.00 वर्गमीटर	आवासीय	मार्ग
		112/3	1057 वर्गमीटर	आवासीय	मार्ग
		113/2, 114/8, 9, 110/2	675.95 वर्गमीटर	आवासीय	मार्ग
		113, 114 & 769, 770 का भाग	948.93 वर्गमीटर	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	मार्ग
		120	790.74 वर्गमीटर	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	मार्ग
		121	619.13 वर्गमीटर	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	मार्ग
		123	1249.72 वर्गमीटर	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	मार्ग
		124	1004.30 वर्गमीटर	आवासीय	मार्ग
		123	1004.28 वर्गमीटर	आवासीय	मार्ग
2.	लाभाण्डी प.ह.नं. 113	112 का भाग 112/3 111 का भाग	25.26 वर्गमीटर 31.94 वर्गमीटर 69.69 वर्गमीटर	आवासीय	मार्ग एम.आर-15 (ए) से एम.आर-02 को जोड़ने वाला (30 मीटर)
		111/5	44.26 वर्गमीटर	आवासीय	मार्ग
		110/3	134.04 वर्गमीटर	आवासीय	मार्ग
		110/2	212.47 वर्गमीटर	आवासीय	मार्ग
		109 का भाग	205.89, 108.23, 196.95 वर्गमीटर	आवासीय	मार्ग
		109/10	383.72 वर्गमीटर	आवासीय	मार्ग
		108/9	285.85 वर्गमीटर	आवासीय	मार्ग
		1206/1	227.15 वर्गमीटर	आवासीय	मार्ग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1206/7	205.26 वर्गमीटर	आवासीय	मार्ग
		112 का भाग	348.12 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		112/3	584.27 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		111/2	296.77 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		110/4, 5	1224.14 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		109/7	827.87 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		109/11	708.09 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		109/12	245.45 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		106/4	287.24 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		106/3	337.07 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		100/8	393.94 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		1206 का भाग	146.27 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय
		1209	69.59 वर्गमीटर	मार्ग	आवासीय

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण वर्तमान मार्ग का एलाइमेंट त्रृटिवश उसके वास्तविक स्थल से हटकर अंकित होने के कारण.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विचारोपरांत राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2.—छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार-विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (दो) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त अनुसूचित क्षेत्रों में उक्त अनुसूची के कालम (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट वन उपज के संबंध में, उक्त अधिनियम

कालम (3) में दर्शायी तिथि से प्रवृत्त होगा :—

अनुसूची

क्रमांक (1)	वन उपज (2)	तिथि (3)
1.	इमली	01-02-2014
2.	प्राकृतिक कोसा कोकून	01-02-2014

No. F 13-7/2012/10-2.—In exercise of the powers conferred by proviso to clause (ii) of sub-section (3) of srction 1 of the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969), the State Government hereby specifies that the said Adhiniyam shall come into force in all the scheduled areas of Chhattisgarh State in relation to the forest produce specified in the corresponding entries in column (2) of the schedule below from the dates specified in column (3) of the said Schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Forest Produce (2)	Date (3)
1.	Imli	01-02-2014
2.	Natural Kosa Cocoon	01-02-2014

नया रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2.—छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार-विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (दो) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट वन उपज के संबंध में, कालम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रवृत्त होगा :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	वन उपज (2)	तिथि (3)
1.	लाख	01-04-2014
2.	महुआ बीज	01-05-2014
3.	चिरौंजी	01-04-2014

No. F 13-7/2012/10-2.—In exercise of the powers conferred by proviso to clause (ii) of sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969), the State Government, hereby, specifies that the said Adhiniyam shall come into force in the whole State of Chhattisgarh in relation to the forest produce specified in column (2) of the schedule below from the dates specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Forest Produce (2)	Date (3)
1.	Lac	01-04-2014
2.	Mahua Seed	01-05-2014
3.	Chironji	01-04-2014

नया रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2.—यत:, लघु वनोपज (एमएफपी) के संग्राहकों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) के प्रावधानों में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है;

अतएवं, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा निर्देश देते हैं कि राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), निम्न संशोधन के अध्यधीन लागू होगा, अर्थात् :—

1. मूल अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) तथा पंचायतों के उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 40 सन् 1996) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह अधिनियम ऐसे अनुसूचित क्षेत्र या क्षेत्रों में ऐसे वनोपज के सम्बन्ध में, ऐसी तारीख या तारीखों पर लागू होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे."

2. मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि, अनुसूचित क्षेत्रों के लिये "वनोपज" से अभिप्रेत है पादप मूल के सभी अकाष्ठीय वन उत्पाद अर्थात् जड़, कन्द, पत्ती, छाल, फूल, फल, बीज, जड़ी-बुटी, टसर, कोकून, शहद, मोम, गोन्द, रॉल, लाख आदि किन्तु इसमें काष्ठ तथा बांस सम्मिलित नहीं है."

No. F 13-7/2012/10-2.—Whereas, in order to protect the collectors of Minor Forest Produce (MFP) from the exploitation of middlemen, it has become inperative to make amendment in the provisions of Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of Paragraph 5 of Fifth Schedule of

the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, directs that, Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969) (hereinafter referred to as Principal Act), shall be applicable to the Scheduled Areas of the State subject to amendment mentioned hereunder, namely :—

1. After Clause (ii) of sub-section (3) of Section 1 of the Principal Act, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that notwithstanding anything contained in the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) and the Provision of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (No. 40 of 1996), this Act shall be applicable to such forest produce in such Scheduled Area or Areas, on such date or dates as the State Government may, by notification, specify in this behalf."

2. After Clause (d) of Section 2 of the Principal Act, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that "forest produce" for Scheduled Areas means all non-timber produces of plant origin i.e. roots, tubers, leaves, bark, flowers, fruits, seeds, herbs-shrubs, tassar, cocoon, honey, wax, gums, resins, lac etc. but does not include timber and bamboo."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्रमांक/02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	बैजलपुर प.ह.नं. 10	12.35	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)	लालपुर जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्रमांक/03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	ठेंगाभाट प.ह.नं. 02	1.15	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)	हेम्प व्यपवर्तन दायीं तट नहर के अंतर्गत बोहारडीह माइनर नहर में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसव राजू एस. कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्रमांक 06/क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	पेण्ड्री प.ह.नं. 46	0.06	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा (छ.ग.)	जांजगीर-केरा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक/6484 भू- अर्जन/02 अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	बड़ेबचेली	1.609	कार्यपालन अभियन्ता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग, जगदलपुर	सामान्य आवास योजना के लिये भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. देवसेनापति, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 24 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	साजाबहरी	0.40	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग कोरबा (छ.ग.)	चैतमा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	माखनपुर	1.41	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोरबा (छ.ग.)	धौराभांठा जलाशय योजना के स्पील चैनल निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	माखनपुर	7.79	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोरबा (छ.ग.)	धौराभांठा जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	**कटघोरा**	**जटांगपुर**	11.51	**कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोरबा (छ.ग.)**	**जटांगपुर एनीकट निर्माण.**

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्रमांक 1/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	बरवासन प.ह.नं. 04	2.329	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही मुख्यालय पेण्ड्रारोड, जि. बिलासपुर.	दर्री व्यपवर्तन योजना की मेडुका माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्रमांक 01/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	मटियारी प.ह.नं. 28	0.68	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मटियारी माइनर नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्रमांक 02/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	नगाराडीह (कुंवा) प.ह.नं. 26	0.89	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नगाराडीह माइनर नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्रमांक 03/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	बोड़सरा प.ह.नं. 26	2.48	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत बोड़सरा माइनर नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्रमांक 04/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पासिद प.ह.नं. 28	1.62	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत कुरेली माइनर नं. 1, बेलटुकरी माइनर एवं मंगला सब-माइनर नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्रमांक 05/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पोड़ी प.ह.नं. 4	1.98	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत पोड़ी सबमाइनर एवं मगरउछला माइनर नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्रमांक 08/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	बेलटुकरी प.ह.नं. 28	0.81	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत कुरेली माइनर नं. 2 एवं बेलटुकरी माइनर नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्रमांक 14/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रा	कनईबहरा प.ह.नं. 18	4.253	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही जिला-बिलासपुर.	बारोडीह बम्हनी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्रमांक 13/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रा	जिल्दा प.ह.नं. 17	4.036	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही जिला-बिलासपुर.	बारोडीह बम्हनी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 41/अ-82/2011-12.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम- जामपाल, प.ह.नं. 03, तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 4.939 हे. केलो परियोजना अंतर्गत जामपाली माइनर नहर निर्माण हेतु भू अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 13-04 2012 तथा दिनांक 31-08-2013 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल खसरा 69 कुल रकबा 4.939 हे. भूमि में से 592/1 रकबा 0.057 एवं 661 रकबा 0.200 हे. भूमि त्रुटिपूर्ण प्रकाशन होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-जामपाली

क्र.	ख. नं.	रकबा
1.	592 1	0.057
2.	661	0.200
कुल	**02**	**0.257**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता

रायगढ़, दिनांक 16 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 61/अ-82/2010-11.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-छिछोर उमरिया, प.ह.नं. 41, तहसील पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 2.368 हे. केलो परियोजना अंतर्गत टिनमिनी माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 06-05-2011 तथा दिनांक 25-11-2011 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित कुल ख. नं. 01 कुल रकबा 0.052 हे. भूमि प्रभावित न होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-छिछोर उमरिया

	ख. नं.	रकबा
	1138/2	0.052
कुल	**1**	**0.052**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 79/अ-82/2010-11.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-बड़े भण्डार, प.ह.नं. 39, तहसील पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 3.458 हे. केलो परियोजना अंतर्गत अमलीभौना माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 28-10-2011 तथा दिनांक 27-07-2012 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित कुल ख. नं. 53 कुल रकबा 2.312 हे. भूमि प्रभावित न होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-बड़े भण्डार

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
474	0.012
471	0.045
470/2	0.032
470/1	0.028
472	0.032
468	0.020
480	0.057
469	0.080
473	0.012
184/1	0.004
361/1	0.081
352/5	0.093

(1)	(2)
352/2	0.028
352/3	0.085
352/6	0.028
288	0.053
374/1	0.004
286/1	0.012
358/1	0.129
287	0.041
283	0.065
281	0.057
351/2	0.032
282/1	0.004
253/1	0.077
466	0.012
280/3	0.057
280/1	0.040
280/4	0.024
280/2	0.012
279/1	0.065
279/2	0.008
185/2	0.081
248/1	0.028
248/2	0.032
250	0.053
255/1	0.008
189/1, 190/1	0.129
188/1	0.036
188/2	0.012
189/2, 190/2	0.061
187/1	0.165
185/1	0.049
251/1	0.012
255/2	0.045
252	0.045
516/1	0.008
467/2	0.004
361/2	0.105
359/2	0.057
247	0.053
कुल खसरा 53	**कुल रकबा 2.312**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	रेगड़ा प.ह.नं. 15	15.511	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पतरापाली ईस्ट प.ह.नं. 36	5.090	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

... नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	टारपाली प.ह.नं. 36	12.743	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सम्बलपुरी प.ह.नं. 31	3.419	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बरलिया प.ह.नं. 15	3.682	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	दनौट प.ह.नं. 15	0.732	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 9 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-भेजीनारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.212 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
210/9	0.210
210/8क	0.262
210/8ख	0.041
210/6क	0.262
210/6ख	0.242
210/26क	0.121
210/27क	0.405
202/2	0.142
210/26ख	0.122
210/27ख	0.405
योग	2.212

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खोलारनाला एनीकट क्र. 2 के डुब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक 387/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 29/अ-82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प.ह.नं. 68/21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.88 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
355	0.51
511/1	0.04
533/1	0.12
533/2	0.08
538	0.08
647/2	0.05
योग 6	0.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत लेयर-2 में ए. डी. रोड़-1 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक 388/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 08/अ-82 वर्ष 2012 13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-रीको, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-125.28 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
66	0.81
67	0.33
68	0.24
75	0.42
76	0.47
77	0.44
79	0.25
81	0.17
82	0.09
83	1.15
87/1	0.67
87/2	0.54
88	0.23
89	0.27
90	3.50
92	0.18
94	0.24
95	0.58
96	0.71
97/2	0.48
98	0.40
99	0.28
110	0.17
113	0.33
117	0.97
121	0.40
123	0.03
127	1.33
128	2.75
214	0.45
217	0.24
218	0.08
219	0.09
220	0.03
221	0.11
225	0.10
226	0.37
227	0.17
230	0.07
234	0.10
235	0.24
236	0.14
238	0.29
239	0.14
242	0.07
243	0.04
244	0.10
270	0.05
271	4.02
272	0.19
274	0.06
276/1	0.31
276/2	0.22
276/3	0.12
277	0.26
281/1	0.20
281/3	0.20
281/4	0.16
284	0.20
285	0.16
286	0.13
288	0.12
290	0.73
291	0.24
292	0.35
293	0.36
294	0.41
295	0.48
306	0.76
307	0.11
308	0.04
309	0.05

(1)	(2)
310	0.05
311	0.04
325	0.55
326	0.31
333	0.18
334	2.00
336	0.18
337	0.65
340	0.23
369/1	1.02
370	0.24
372	2.26
373	0.53
374	0.07
377	1.10
379	0.37
381	2.01
382/1	0.12
383/1	0.19
383/3	0.20
387	0.13
392	0.01
394	0.03
395	0.01
399	0.04
403	1.07
404	0.05
411	0.70
416	0.12
417	0.08
419	0.06
420	0.50
421	0.18
528	0.05
529	0.49
530	0.40
531	0.46
532	0.46
541	0.08
542	1.35
543	0.45
544	0.04
545	0.04
548	0.47
557/2	0.72
558	0.25
562	0.40

(1)	(2)
563	0.35
564	0.25
565	1.49
568	0.26
569	0.44
570	0.43
571	0.32
572	0.40
573	0.37
577/1	0.71
577/2	0.23
578	0.14
580/1	0.02
580/2	0.29
581	0.77
583	1.41
584	1.70
586/1	1.10
588/1	2.97
589	0.29
592/1	0.28
593/1	0.19
595	0.21
596	0.19
599	1.54
604	0.27
606	0.04
609	0.12
611	0.06
614	0.24
615	0.17
616	0.84
618/1	0.17
619/1	0.20
619/2	0.55
621	0.33
624	0.09
625	0.19
629	0.35
633	0.47
637	0.05
638	0.30
644	0.22
647	0.09
651	0.05
652	0.20
653	0.28
658	0.65

(1)	(2)
661	0.51
666	1.02
669	0.52
670	0.99
672	2.28
677	0.05
687	0.20
688/1	0.58
688/2	0.18
689	0.30
693	0.06
694	0.16
698	0.21
699	0.95
701	0.22
702	0.24
703	0.26
707	0.55
709	1.38
710	1.41
712	0.53
718	0.22
719	0.49
722	0.20
723	1.38
724	0.10
726	0.21
729	0.36
731	0.41
749	0.09
752	0.19
753	0.07
755	0.15
757	0.18
759	0.17
761	0.08
763	0.13
765	0.13
766	0.15
767	0.07
768	0.33
770	0.16
771	0.18
773	0.27
776	0.12
777	0.37
779	0.09
783	0.03
785	0.61
791	0.05
801/1	0.16
801/2	0.16
803	0.49
804	0.35
807	0.70
808	1.03
809	0.95
811	1.05
812	1.28
813	1.97
814	1.75
815/3	0.80
816	0.62
817	1.13
818	0.63
819	0.26
820	0.85
825/7	0.30
825/12क	1.00
826	1.41
830	0.25
836	0.31
838	0.31
840	0.42
842	0.82
844	0.28
850	2.74
855	0.20
856/2	0.46
857	0.77
858	0.18
859	0.56
864/2	0.58
865/2	0.31
867	0.54
869	0.11
872	0.40
874	0.91
876	0.08
879	0.82
884	0.11
886	0.56
887	0.03
892	0.72

	(1)	(2)
	893	1.42
	896	0.46
	898	0.04
योग	264	125.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनांतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक 392/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 23/अ-82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-मंदिरहसौद, प.ह.नं. 73/16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-03.415 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1278	0.902
	1279/1	0.061
	1279/2	0.041
	1281/16	0.055
	1281/19	0.759
	1281/20	0.014
	1281/21	0.109
	1281/22	0.040
	1281/23	0.364
	1281/24	0.255
	1281/25	0.358
	1281/26	0.002
	1281/27	0.043
	1281/28	0.121
	1281/29	0.097
	1281/30	0.045
	1281/31	0.040
	1281/32	0.040
	1281/33	0.069
योग	19	03.415

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर क्षेत्र के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट विस्तार के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक 393/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 22/अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-रीको, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
405	0.06
406	0.06

	(1)	(2)
	407	0.06
योग	03	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनांतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक 394/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 21/अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-मंदिरहसौद, प.ह.नं. 73/16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.054 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1578/1	0.054
योग	01	0.054

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर में योजना क्षेत्र (लेयर-1) अन्तर्गत नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26 अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	177/1	0.03
योग	1	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिटकुली (कबीरधाम) जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
   (ख) तहसील-बिल्हा
   (ग) नगर/ग्राम-अमेरी अकबरी
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	491	0.16
	492	0.24
योग	1	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-करही सिलपहरी एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
   (ख) तहसील-बिलासपुर
   (ग) नगर/ग्राम-तिफरा
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 1/4 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	251/2	0.07 1/4
योग	1	0.07 1/4

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नाला निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
   (ख) तहसील-बिल्हा
   (ग) नगर/ग्राम-चूराघाट
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	586/1	0.35
योग	1	0.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चूराडीह स्टापडेम निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-घोघरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	416	0.24
	418/1	0.09
योग	2	0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चूराडीह स्टापडेम निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-हरदीकला (टोना)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.48 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	672	0.13
	673/1	0.05
	673/2	0.02
	673/3	0.02
	674	0.14
	675	0.10
	677/1	0.02
योग	7	0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बसिया (कोरमी) एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-खपराखोल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
191	0.05
190/1, 190/2	0.40
योग	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खपराखोल एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-सारधा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.71 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
452/1	0.24
175	0.35
458	0.12
योग	0.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सारधा जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./32/2013-14/5835.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/4751 रायपुर, दिनांक 18-10-2012 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को कृषि उपज मण्डी समिति लोरमी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर मुंगेली, जिला मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 4322 (B) दिनांक 03-10-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति लोरमी में भारसाधक अधिकारी नियुक्ति के संबंध में श्री प्रमोद शांडिल्य अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड 'ख' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, के स्थान पर श्री प्रमोद शांडिल्य अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लोरमी को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति लोरमी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./32/2013-14/5837.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/5117 रायपुर, दिनांक 06-11-2012 द्वारा श्री एच. के. मत्स्यपाल तहसीलदार कृषि उपज मण्डी समिति गण्डई जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर राजनांदगांव का ज्ञापन क्रमांक 6922 दिनांक 03-10-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति गण्डई में भारसाधक नियुक्ति हेतु श्री सोमित मेरिया तहसीलदार छुईखदान जिला राजनांदगांव का नाम प्रस्तावित किया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एच. के. मत्स्यपाल तहसीलदार छुईखदान का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री सोमित मेरिया तहसीलदार छुईखदान जिला-राजनांदगांव को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति गण्डई जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्रमांक/979/रीडर/न.भू.सी./2013.—संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक F-6-62/2008/सात-3 रायपुर दिनांक 03-09-2009 में दिये गये निर्देशानुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 की धारा 3 एवं 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिये श्री रमेश शर्मा अपर कलेक्टर रायपुर को अधिकृत किया जाता है.

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्रमांक 6867/तीन-10-8-2000 (VI).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-6540/तीन-10-8/2000 (VI), दिनांक 09 सितम्बर, 2013 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 8778/XXI-B/13 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 02-10-2013 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक

सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
		2. कोण्डागांव	1	2. नारायणपुर	1	2. नारायणपुर	1
				3. कोण्डागांव	2	3. केशकाल	1
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार	3	1. बलौदाबाजार	2	1. बलौदाबाजार	1
		2. भाटापारा	1	2. भाटापारा	1	2. भटगांव	1
				3. कसडोल	1	3. बिलाईगढ़	1
						4. सिमगा	1
3.	बालौद	1. बालौद	2	1. बालौद	2	1. बालौद	2
				2. गुण्डरदेही	1	2. दल्लीराजहरा	1
						3. डौण्डीलोहारा	1
4	बेमेतरा	1. बेमेतरा	1	1. बेमेतरा	2	1. बेमेतरा	2
						2. साजा	1
5.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	10	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	10
		2. मुंगेली	1	2. मुंगेली	2	2. मुंगेली	1
		3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1
				4. बिल्हा	1	4. कोटा	1
						5. लोरमी	1
						6. मरवाही	1
						7. तखतपुर	1
6.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1. दंतेवाड़ा	2	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	2	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1	3. बचेली	1
						4. कोन्टा	1
7.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	2
				2. कुरूद	1	2. नगरी	1
8.	दुर्ग	1. दुर्ग	8	1. दुर्ग	3	1. दुर्ग	12
				2. पाटन	1		
				3. भिलाई-3	1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	जांजगीर चांपा	1. जांजगीर	3	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	2
		2. सक्ती	2	2. सक्ती	1	2. सक्ती	1
				3. चांपा	1	3. डभरा	1
				4. अकलतरा	1	4. पामगढ़	1
						5. जैजैपुर	1
						6. नवागढ़	1
						7. मालखरौदा	1
10.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
		2. कुनकुरी	1	2. कुनकुरी	1	2. पत्थलगांव	1
						3. बगीचा	1
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा	1	1. कवर्धा	3	1. कवर्धा	1
						2. पंडरिया	1
12.	कोरबा	1. कोरबा	2	1. कोरबा	2	1. कोरबा	1
		2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1
						3. पाली	1
						4. करतला	1
13.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. मनेन्द्रगढ़	2	1. बैकुंठपुर	2	1. बैकुण्ठपुर	1
				2. मनेन्द्रगढ़	1	2. मनेन्द्रगढ़	1
				3. चिरमिरी	1	3. जनकपुर	1
14.	महासमुंद	1. महासमुंद	2	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	2
				2. सरायपाली	1	2. पिथौरा	1
15.	रायगढ़	1. रायगढ़	5	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. सारंगढ़	1	2. घरघोड़ा	1	2. धर्मजयगढ़	1
				3. सारंगढ़	1	3. खरसिया	1
16	रायपुर	1. रायपुर	10	1. रायपुर	6	1. रायपुर	16
		2. गरियाबंद	1	2. गरियाबंद	2	2. गरियाबंद	1
						3. राजिम	1
						4. तिल्दा	1
						5. देवभोग	1
17.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़ चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
				3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1	4. छुईखदान	1
18.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर	6	1. अम्बिकापुर	2	1. अंबिकापुर	5
		2. रामानुजगंज	1	2. रामानुजगंज	2	2. वाड्रफनगर	1
						3. सीतापुर	1
						4. बलरामपुर	1
						5. राजपुर	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19.	सूरजपुर	1. सूरजपुर	3	1. सूरजपुर	2	1. सूरजपुर	2
		2. प्रतापपुर	1	2. प्रतापपुर	1		
20.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	1	1. कांकेर	2	1. कांकेर	1
		2. भानुप्रतापपुर	1	2. भानुप्रतापपुर	1	2. पखांजुर	1

नोट :— रामानुजगंज में सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के 2 न्यायालय — (रामानुजगंज-1 + बलरामपुर-1)

No. 6867/III-10-8/2000 (VI).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 6540/ III-10-8/2000 (VI), dated 09-09-2013, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification No. 8778/XXI-B/13 dated 13-09-2013 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 02-10-2013 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
		2. Kondagaon	1	2. Narayanpur	1	2. Narayanpur	1
				3. Kondagaon	2	3. Keshkal	1
2.	Balodabazar	1. Balodabazar	3	1. Balodabazar	2	1. Balodabazar	1
		2. Bhatapara	1	2. Bhatapara	1	2. Bhatgaon	1
				3. Kasdol	1	3. Bilaigarh	1
						4. Simga	1
3.	Balod	1. Balod	2	1. Balod	2	1. Balod	2
				2. Gunderdehi	1	2. Dallirajhara	1
						3. Dondilohara	1
4.	Bemetara	1. Bemetara	1	1. Bemetara	2	1. Bemetara	2
						2. Saja	1
5.	Bilaspur	1. Bilaspur	10	1. Bilaspur	5	1. Bilaspur	10
		2. Mungeli	1	2. Mungeli	2	2. Mungeli	1
		3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1
				4. Bilha	1	4. Kota	1
						5. Lormi	1
						6. Marwahi	1
						7. Takhatpur	1
6.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	2	1. Dantewara	1	1. Dantewara	2
				2. Sukma	2	2. Bijapur	1
				3. Bijapur	1	3. Bacheli	1
						4. Konta	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari	2	1. Dhamtari	2
				2. Kurud	1	2. Nagri	1
8.	Durg	1. Durg	8	1. Durg	3	1. Durg	12
				2. Patan	1		
				3. Bhilai-3	1		
9.	Janjgir-Champa	1. Janjgir	3	1. Janjgir	2	1. Janjgir	2
		2. Sakti	2	2. Sakti	1	2. Sakti	1
				3. Champa	1	3. Dabhra	1
				4. Akaltara	1	4. Pamgarh	1
						5. Jaijaipur	1
						6. Navagarh	1
						7. Malkharoda	1
10.	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
		2. Kunkuri	1	2. Kunkuri	1	2. Patthalgaon	1
						3. Bagicha	1
11	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha	1	1. Kawardha	3	1. Kawardha	1
						2. Pandariya	1
12.	Korba	1. Korba	2	1. Korba	2	1. Korba	1
		2. Katghora	1	2. Katghora	1	2. Katghora	1
						3. Pali	1
						4. Kartala	1
13.	Koriya (Baikunthpur)	1. Manendragarh	2	1. Baikunthpur	2	1. Baikunthpur	1
				2. Manendragarh	1	2. Manendragarh	1
				3. Chirmiri	1	3. Janakpur	1
14.	Mahasamund	1. Mahasamund	2	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	2
				2. Saraipali	1	2. Pithoura	1
15.	Raigarh	1. Raigarh	5	1. Raigarh	2	1. Raigarh	4
		2. Sarangarh	1	2. Gharghora	1	2. Dharamjaigarh	1
				3. Sarangarh	1	3. Kharsiya	1
16.	Raipur	1. Raipur	10	1. Raipur	6	1. Raipur	16
		2. Gariyaband	1	2. Gariyaband	2	2. Gariyaband	1
						3. Rajim	1
						4. Tilda	1
						5. Devbhog	1
17.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	3
		2. Khairagarh	1	2. Ambagarh-chowki.	1	2. Dongargarh	1
				3. Dongargarh	1	3. Khairagarh	1
				4. Khairagarh	1	4. Chhuikhadan	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	6	1. Ambikapur	2	1. Ambikapur	5
		2. Ramanujganj	1	2. Ramanujganj	2	2. Wadrafnagar	1
						3. Sitapur	1
						4. Balrampur	1
						5. Rajpur	1
19.	Surajpur	1. Surajpur	3	1. Surajpur	2	1. Surajpur	2
		2. Pratappur	1	2. Pratappur	1		
20.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker	1	1. Kanker	2	1. Kanker	1
		2. Bhanupratappur	1	2. Bhanupratappur	1	2. Pakhanjur	1

Note :—2 Courts of Civil Judges Class-I at Ramanujganj - (Ramanujganj -1 + Balrampur-1)

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्रमांक 6868/तीन-10-8/2000 (VI).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-4969/तीन-10-8/2000 (IV), दिनांक 28 सितम्बर, 2006 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 8548/21-बी/12 दिनांक 07 सितम्बर, 2013 द्वारा स्थापित जिला न्यायाधीश का न्यायालय दिनांक 02 अक्टूबर 2013 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	जिला न्यायाधीश का न्यायालय (2)	बैठने का स्थान (3)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार
3.	बालौद	1. बालौद
4.	बेमेतरा	1. बेमेतरा
5.	बिलासपुर	1. बिलासपुर
6.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा
7.	धमतरी	1. धमतरी
8.	दुर्ग	1. दुर्ग
9.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
10.	जशपुर	1. जशपुर
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा
12.	कोरबा	1. कोरबा
13.	कोरिया (बैकुंठपुर)	1. बैकुण्ठपुर
14.	महासमुंद	1. महासमुंद
15.	रायगढ़	1. रायगढ़
16.	रायपुर	1. रायपुर
17.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
18.	सरगुजा (अंबिकापुर)	1. अम्बिकापुर

(1)	(2)	(3)
19.	सूरजपुर	1. सूरजपुर
20.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर

No. 6868/III-10-8/2000 (VI).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 4969/III-10-8/2000 (VI), dated 28 September 2006, the High Court hereby directs that the Courts of District Judges as established by the Law Department Notification No. 8548/XXI-B/12 dated 07 September 2013 for the previous Civil District of Chhattisgarh shall sit with effect from the 02nd October 2013 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Serial No. (1)	Court of District Judge (2)	Places of Sitting (3)
1.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur
2.	Balodabazar	1. Balodabazar
3.	Balod	1. Balod
4.	Bemetara	1. Bemetara
5.	Bilaspur	1. Bilaspur
6.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara
7	Dhamtari	1. Dhamtari
8.	Durg	1. Durg
9.	Janjgir-Champa	1. Janjgir
10.	Jashpur	1. Jashpur
11.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha
12.	Korba	1. Korba
13.	Koriya (Baikunthpur)	1. Baikunthpur
14.	Mahasamund	1. Mahasamund
15.	Raigarh	1. Raigarh
16.	Raipur	1. Raipur
17.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon
18.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur
19.	Surajpur	1. Surajpur
20.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्रमांक 6869 तीन 10 8 2000 (VI).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-4671/तीन-10-8/2000 (IV), दिनांक 28 सितम्बर, 2006 को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निर्देश देता है दिनांक 02 अक्टूबर 2013 से, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय, साधारणत: उक्त सारणी के कॉलम (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर अपनी बैठक करेंगे, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सत्र न्यायालय (2)	बैठने का स्थान/स्थानों (3)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर 2. कोण्डागांव

(1)	(2)	(3)
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार 2. भाटापारा
3.	बालौद	1. बालौद
4.	बेमेतरा	1. बेमेतरा
5.	बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. मुंगेली 3. पेण्ड्रारोड
6.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा
7.	धमतरी	1. धमतरी
8.	दुर्ग	1. दुर्ग
9.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर 2. सक्ती
10.	जशपुर	1. जशपुर 2. कुनकुरी
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा
12.	कोरबा	1. कोरबा 2. कटघोरा
13.	कोरिया (बैकुंठपुर)	1. बैकुण्ठपुर 2. मनेन्द्रगढ़
14.	महासमुंद	1. महासमुंद
15.	रायगढ़	1. रायगढ़ 2. सारंगढ़
16.	रायपुर	1. रायपुर 2. गरियाबंद
17.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. खैरागढ़ 3. डोंगरगढ़
18.	सरगुजा (अंबिकापुर)	1. अम्बिकापुर 2. रामानुजगंज

(1)	(2)	(3)
19.	सूरजपुर	1. सूरजपुर 2. प्रतापपुर
20.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर 2. भानुप्रतापपुर

No. 6869/III-10-8/2000 (VI).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. 4671/III-10-8/2000 (IV), dated 28-09-2006, the High Court of Chhattisgarh is pleased to direct that with effect from the 2nd October 2013 ordinarily the Court of Sessions specified in column No. (2) of the Table below, shall hold its sitting at the place or places, specified against it in Column No. (3) :—

TABLE

Serial No. (1)	Court of Sessions (2)	Ordinary Place/Places of Sitting (3)
1.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur 2. Kondagaon
2.	Balodabazar	1. Balodabazar 2. Bhatapara
3.	Balod	1. Balod
4.	Bemetara	1. Bemetara
5.	Bilaspur	1. Bilaspur 2. Mungeli 3. Pendraroad
6.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara
7.	Dhamtari	1. Dhamtari
8.	Durg	1. Durg
9.	Janjgir-Champa	1. Janjgir 2. Sakti
10.	Jashpur	1. Jashpur 2. Kunkuri
11.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha
12.	Korba	1. Korba 2. Katghora
13.	Koriya (Baikunthpur)	1. Baikunthpur 2. Manendragarh
14.	Mahasamund	1. Mahasamund

(1)	(2)	(3)
15.	Raigarh	1. Raigarh 2. Sarangarh
16.	Raipur	1. Raipur 2. Gariyaband
17.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh 3. Dongargarh
18.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur 2. Ramanujganj
19.	Surajpur	1. Surajpur 2. Pratappur
20.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker 2. Bhanupratappur

By order of the High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.